लेखा परीक्षा समिति

वर्ष 2001 में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया । बैठक में निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख तथा विशेष रूप से आमंत्रित संविधिक लेखा परीक्षक भी शामिल होते हैं । समिति के सचिव के रूप में कंपनी सचिव कार्य करते हैं ।

इस लेखा परीक्षा समिति की बैठक के कार्यवत्त को बोर्ड के समक्ष सूचना के लिए प्रस्तुत किया जाता है । समिति के कार्यक्षेत्र की निम्नवत शर्तें हैं :

1) बोर्ड से संबंधित अपने निरीक्षण कार्यों में सहायता करना:

क) लेखा परीक्षित और अघोषित वित्तीय विवरणों में निहित खुलासे की गुणवत्ता और अखंडता;

बी) कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन;

ग) बाह्य लेखा परीक्षकों की योग्यता, अनुभव, प्रदर्शन और स्वतंत्रता;

घ) समय-समय पर स्थापित आंतरिक नियंत्रणों की अखंडता; तथा

ड.) कंपनी के निवेश।

2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में निर्दिष्ट वस्तुओं या बोर्ड द्वारा उल्लेखित के संबंध में किसी भी मामले की जांच करना और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी के रिकॉर्ड में निहित जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त करना और यदि आवश्यक हो तो बाहरी पेशेवर सलाह भी लेना।

3) संदर्भित अपनी शर्तों के भीतर किसी भी गतिविधि को जांचना।

4) कर्मचारियों सहित किसी भी स्रोत से जानकारी लेना।

5) यदि आवश्यक हो तो बाह्य कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह लेना।

6) प्रासंगिक विशेषज्ञता पर बाहरी लोगों की उपस्थिति को सुरक्षित करना, यदि यह आवश्यक होने पर।

7) विस्ल ब्लोअर की रक्षा करना।

8) लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल होंगे:

क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण को देखना।

ख) अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले त्रैमासिक / अर्धवार्षिक वित्तीय विवरण का प्रबंधन के साथ समीक्षा।

ग) अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक रिपोर्ट के विशेष संदर्भ पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना

घ) निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के खंड (3) (सी) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल होना;

ड.) लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो और परिवर्तन के कारणों;

च) प्रबंधन द्वारा लिए निर्णय के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियाँ;

छ) लेखापरीक्षा से प्राप्त निष्कर्षों को वित्तीय विवरणों में विशेषरूप समायोजन,

ज) भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों का अनुपालन;

झ) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

ञ.) किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण; तथा

ट) ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में योग्यता।

9) लेखा परीक्षा (एं)

क) आंतरिक लेखापरीक्षा:

- प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखा परीक्षकों (बाह्य फर्मों) का कार्यनिष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की यथेष्टता की समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, स्टार्फिंग और विभाग के आधिकारिक शीर्ष की वरिष्ठता सहित ऐसे ढांचे तथा लेखा परीक्षा की आवृत्ति का उल्लेख और रिपोर्टिंग के साथ-साथ आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की यथेष्टता की समीक्षा करना, यदि कोई हो।
- किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और इसके उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई।
- बोर्ड की नियुक्ति की सिफारिश करना और आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा अन्य सेवाएं, यदि कोई हो, के लिए फीस निर्धारित करना ।

ख) सांविधिक लेखा परीक्षा और शाखा लेखा परीक्षा :

- लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के साथ - साथ लेखापरीक्षा के बाद शंका के किसी भी विषय-वस्तु को दूर करने के लिए लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा।
- किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और इसके उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई।
- बोर्ड को सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षा शुल्क के निर्धारण की सिफारिश करना।

- सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवा (लेखा परीक्षा के अलावा) के लिए उनको भुगतान की स्वीकृति।

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई हो,लेखा परीक्षक की नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना तथा लेखा परीक्षक द्वारा अन्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए अनुमोदन।

ग) लागत लेखा परीक्षा और कर लेखा परीक्षा :

लागत लेखा परीक्षकों और कर लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनः नियुक्ति तथा यदि आवश्यक हो, तो प्रतिस्थापन या निष्कासन और लेखा परीक्षा शुल्क एवं नियुक्ति की अन्य शर्तों का निर्धारण पर बोर्ड को सिफारिश करना।

10) लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी।

11) लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए गए प्रत्येक विषय-वस्तु के संदेह और विशिष्टता पर पूरी जानकारी तथा विशलेषण के साथ समीक्षा करना एवं रिपोर्ट को बोर्ड के समक्ष विचारार्थ संस्तुत करना।

12) स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुली पद्धति प्रदान करना।

13) विषय-वस्तु की पूर्णता को सुनिश्चित करने में लेखा परीक्षकों के प्रयास, अनावश्यक अद्यम और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के साथ समीक्षा करना।

14) स्वतंत्र लेखा परीक्षकों और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करना :

क) कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की यथेष्टता और

ख) प्रबंधन की संस्तुति के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें।

15) प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करना :

क) पिछले लेखा परीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ।

ख) क्रियाकलाप की परीधी या आवश्यक जानकारी की प्राप्ति से संबंधित किसी प्रकार के अड़चन सहित लेखा परीक्षा कार्य के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना ।

16) सरकारी लेखा परीक्षा – नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

17) आंतरिक लेखा परीक्षकों / सांविधिक लेखा परीक्षकों / अन्य एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या सामग्री प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता और बोर्ड को रिपोर्ट करने वाले मामला हो।

18) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के भुगतान न होने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों पर गौर करना।

19) व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना।

20) सार्वजनिक उपक्रमों (सीओपीयू) पर संसद के समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

21) हमारी कंपनी में सभी संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा और पूर्व-अनुमोदन करना । इस प्रयोजन के लिए, लेखा परीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है जो संबंधित पार्टी लेनदेन के पूर्व अनुमोदन के लिए जिम्मेदार होगा।

22) कंपनी की वित्तीय नीतियों, वाणिज्यिक नीतियों और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

23) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन करना ।

24) किसी मुद्दे के माध्यम (सार्वजनिक मुद्दा, आधिकारिक मुद्दा, अधिमान्य मुद्दा आदि) से अर्जित किए गए धन के उपयोग / विनियोजन का विवरण, ऑफ़र दस्तावेज़ / प्रॉस्पेक्टस / नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गए धन का विवरण और सार्वजनिक या आधिकारिक मुद्दे की उपयोग प्रक्रिया की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना तथा बोर्ड को इस मामले में उचित कदम उठाने के लिए सिफारिशें करना। ।

25) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच।

26) जहाँ भी आवश्यक हो, कंपनी की वचनवद्धता या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन।

27) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी की लेनदेन के अनुमोदन या तदोपरांत किसी प्रकार के संशोधन करना।

28) निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करना :

क) वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण;

ख) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण (लेख परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित);

ग) सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए गए आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों पर प्रबंधकीय पत्र / पत्र;

घ) आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;

ड.) आंतरिक लेखा परीक्षकों / मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक की शर्तें; तथा

च) मुख्य कार्यपालक / मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा जारी वित्तीय विवरणों का प्रमाणन / घोषणा।

29) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों सहित लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों एवं बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरण की समीक्षा पर टिप्पणी और आंतरिक तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों व कंपनी के प्रबंधन के साथ किसी भी संबंधित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लेखा परीक्षकों की बैठक बुलाना।

30) निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन के लिए तिमाही विवरण की समीक्षा, यदि स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की गई हो।

31) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अनुसार पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति तथा नियम और शर्तें निर्धारित करना।

32) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के भंडारण, पुनर्प्राप्ति, निस्तार या प्रिंटआउट के लिए एक उचित प्रणाली बनाए रखने की सलाह और मूल्यांकन करना ।

33) आंतरिक लेखा परीक्षा के संचालन के कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली, आवधिकता और कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक से परामर्श करना ।

34) लेखा परीक्षा समिति, कंपनी के लेखा परीक्षकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सुनवाई का अधिकार देगी, जब वह लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर विचार करती है।

35) लेखा परीक्षा वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्टिंग के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए स्थापित सतर्कता तंत्र की देखरेख करेगी और ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले कर्मचारियों और निदेशकों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करेगा। लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष उचित और असाधारण मामलों में प्रत्यक्ष रूप से सहजतापूर्वक उपलब्ध होंगे।किसी निदेशक या कर्मचारी द्वारा बार-बार की जा रही तुच्छ शिकायतों के मामले में, लेखा परीक्षा समिति संबंधित निदेशक या कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकती है, जिसमें भर्त्सना करना भी शामिल है। समय-समय पर सीवीसी/डीपीई/ अन्य प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर नामांकन /पत्रक के आधार पर दिए गए अनुबंधों की समीक्षा करें।

36) कंपनी के निदेशक मंडल और / या निदेशकों की अन्य समितियों द्वारा समिति के लिए विशेष रूप से संदर्भित ऐसे अन्य कार्यों को करना।